

परिषद की लखनऊ जोन के अन्तर्गत

आवंटन/
नीलामी तिथि :
29.04.2013
समय : प्रातः
10:30 बजे

लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली एवं बाराबंकी
में व्यावसायिक, प्रीमियम भूखण्ड, संस्थागत भूखण्ड
एवं दुकानों को नीलामी से प्राप्त करने का

सुनहरा अवसर

नीलामी स्थल : सहकारिता भवन, विधानसभा मार्ग, लखनऊ



“जहाँ है जैसी है” के आधार पर नीलामी से निस्तारित होने वाली व्यावसायिक/आवासीय सम्पत्तियाँ

सम्पत्ति संख्या	योजना सं०	सम्पत्ति श्रेणी	क्षेत्रफल (व०मी०)	भवन का अनुमानित मूल्य (रु. लाख में)	आरक्षण
-----------------	-----------	-----------------	-------------------	-------------------------------------	--------

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियाँ

वृन्दावन योजना, लखनऊ

उच्च आय वर्ग भवन

सम्पत्ति संख्या	योजना सं०	सम्पत्ति श्रेणी	क्षेत्रफल (व०मी०)	भवन का अनुमानित मूल्य (रु. लाख में)	आरक्षण
4B/248	2 भाग-1	उ०आ०व० (111 / 121)	122.69	43.44	सामान्य वर्ग
4B/249	2 भाग-1	उ०आ०व० (111 / 121)	120.98	43.15	अन्य पिछड़ा वर्ग
4B/250	2 भाग-1	उ०आ०व० (111 / 121)	120.98	43.15	अनुसूचित जाति
4B/258	2 भाग-1	उ०आ०व० (111 / 121)	120.98	43.15	सामान्य वर्ग
4B/259	2 भाग-1	उ०आ०व० (111 / 121)	120.98	43.15	अन्य पिछड़ा वर्ग
4B/260	2 भाग-1	उ०आ०व० (111 / 121)	122.69	43.44	सामान्य वर्ग

मध्यम आय वर्ग भवन

सम्पत्ति संख्या	योजना सं०	सम्पत्ति श्रेणी	क्षेत्रफल (व०मी०)	भवन का अनुमानित मूल्य (रु. लाख में)	आरक्षण
2C/63	2 भाग-1	म०आ०व० (56 / 121)	121.89	30.50	अन्य पिछड़ा वर्ग
2C/64	2 भाग-1	म०आ०व० (56 / 121)	123.93	30.83	अनुसूचित जाति
2C/65	2 भाग-1	म०आ०व० (56 / 121)	123.93	30.83	सामान्य वर्ग

व्यवसायिक भूखण्डों का विवरण (03 नग)

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	आरक्षित दर प्र.व.मी.	एफ.ए.आर.
12-A/CP-4 (C)	4957.93	32032.00	1.75
5C/COM-09 (C)	1898.04	36960.00	1.75
5E-1/COM-2(C)	1195.60	36960.00	1.75

संस्थागत भूखण्डों का विवरण (01 नग)

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	आरक्षित दर प्र.व.मी.	एफ.ए.आर.
2A/INS-4	1391.75	25200.00	1.5

हेल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम भूखण्डों का विवरण (03 नग)

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	आरक्षित दर प्र.व.मी.	एफ.ए.आर.	
12-A/HC/NH-1C	SC	4431.75	24024.00	1.5
12-A/HC/NH-2C	OBC	5916.82	24024.00	1.5
11A/NH-1C	GEN	2062.36	24024.00	1.5

आम्रपाली योजना, लखनऊ

व्यवसायिक भूखण्ड - 05 नग

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	आरक्षित दर प्र.व.मी.	एफ.ए.आर.
H-4/COM-5C	558.14	32032.00	1.20
H-5/COM-1/B C	386.10	32032.00	1.20
E-3/COM-1C	2931.84	32032.00	1.20
H-1/COM-5	2478.00	29120.00	1.20
H-1/COM-6	2560.00	29120.00	1.20

प्रीमियम भूखण्ड - 06 नग

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	आरक्षित दर प्र.व.मी.	एफ.ए.आर.
H-4/PH-7C	908.79	24024.00	1.20
H-4/PH-8	982.66	21840.00	1.20
H-4/PH-9	1064.49	21840.00	1.20
H-4/PH-10C	1244.88	24024.00	1.20
H-5/PH-5C	968.35	24024.00	1.20
H-5/PH-6C	962.66	24024.00	1.20

राजाजीपुरम योजना, लखनऊ

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	आरक्षित दर प्र.व.मी.	एफ.ए.आर.
व्यावसायिक भूखण्ड सं. 14/CP-106 कार्नर	500.00	39424.00	-

इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ

दुकानें - 46 नग

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	आरक्षित दर प्र.व.मी./ अनुमानित मूल्य लाख में
S-2/24, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 36	3.39-25.22	3.27-24.18
S-3/31, 32, 33, 34, 35, 36	13.92-21.83	10.14-13.52
S-9/11, 14, 15, 16, 17, 18, 19	6.60-10.72	8.23-14.86
S-10/12, 13, 14, 15, 16, 17	6.45	9.05
S-11/11, 16	21.38	32.77
S-18/10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22	9.32-12.48	10.96-14.68
S-19/4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	16.89-24.57	17.37-25.26

राजाजीपुरम योजना, लखनऊ

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	आरक्षित दर प्र.व.मी./ अनुमानित मूल्य लाख में
चबूतरा, 55 / 2 (01 नग)	4.00	4.33

ओबरी योजना, बाराबंकी

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	आरक्षित दर प्र.व.मी./ अनुमानित मूल्य लाख में
कियास्क K-1, 2 (2 नग)	4.00	3.06
दुकान-S-1 से 13 तक, 15, 16, 17 (16 नग)	9.28-12.21	7.10-9.34

इन्दिरा नगर योजना, रायबरेली

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	आरक्षित दर प्र.व.मी./ अनुमानित मूल्य लाख में
दुकान-S-2, 3, 5, 6, 9 से 19 तक, 22 (16 नग)	12.34-14.46	

पंचवटी योजना, सीतापुर

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	आरक्षित दर प्र.व.मी./ अनुमानित मूल्य लाख में
आफिस हाल (2 नग)	162.26 प्रति नग	36.90 प्रति हाल

प्रहलादपुरी योजना, हरदोई

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	आरक्षित दर प्र.व.मी./ अनुमानित मूल्य लाख में
दुकानें S-1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 20 (10 नग)	9.54-10.76	9.80-11.70

नोट : आम्रपाली योजना, लखनऊ स्थित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एच-5/काम-7, 8, 9, 10, 11, एच-5/सी०एस०सी० (6 नग) एवं नर्सिंग होम भूखण्ड संख्या ई-3/एन०एच०-4, 5 (2 नग) तथा आवासीय भूखण्ड संख्या ई-7/482/1 एवं 2 (2 नग) का आरक्षण किया जायेगा।

सम्पत्ति श्रेणी व संख्या	संख्या	क्षेत्रफल (व०मी०)	भवन / भूखण्ड का अनुमानित मूल्य (रु. लाख में) / भूमिदर (प्र.व.मी. में)
--------------------------	--------	-------------------	---

आवासीय सम्पत्तियों की नीलामी

आम्रपाली योजना, लखनऊ

सम्पत्ति श्रेणी व संख्या	संख्या	क्षेत्रफल (व०मी०)	भवन / भूखण्ड का अनुमानित मूल्य (रु. लाख में) / भूमिदर (प्र.व.मी. में)
आवासीय भूखण्ड E-5/04 OBC	1	200.00	14560.00

राजाजीपुरम योजना, लखनऊ

सम्पत्ति श्रेणी व संख्या	संख्या	क्षेत्रफल (व०मी०)	भवन / भूखण्ड का अनुमानित मूल्य (रु. लाख में) / भूमिदर (प्र.व.मी. में)
आवासीय भूखण्ड D-346/2 GEN	1	559.50	17920.00
आवासीय भूखण्ड (कार्नर) D-564/1 GEN	1	406.22	19712.00

इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में एफ-30 (जी+2) प्रकार के भवन

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	आरक्षित दर प्र.व.मी.	एफ.ए.आर.
16/F-01 (G.F.) GEN	1	F-30 (G+2)	11.78
16/F-08 (F.F.) OBC	1	F-30 (G+2)	6.36
16/F-13 (G.F.) GEN	1	F-30 (G+2)	11.85
16/F-21 (S.F.) GEN	1	F-30 (G+2)	6.62
16/F-24 (S.F.) GEN	1	F-30 (G+2)	6.62
दुर्बल आय वर्ग 16/409/1	1	30/40	12.75

गोकुल ग्राम योजना, लखनऊ के अन्तर्गत स्थित आवासीय सम्पत्तियों का आवंटन

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	आरक्षित दर प्र.व.मी.	एफ.ए.आर.
आवासीय भूखण्ड सं. 170, 753, 815	3	40.74-45.36	3.66-4.07
दुर्बल आय वर्ग भवन सं. 345	1	40.74	7.43

हिमालय इन्वलेव में अवशेष रिक्त फ्लैटों/भवनों के आवेदन पत्र कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध, आफिस काम्प्लेक्स, सेक्टर-9, वृन्दावन, रायबरेली रोड, लखनऊ में रु. 500.00 जमा करके पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त कर दिनांक 26.4.2013 तक जमा की जा सकती है तथा आवंटन दिनांक 29.4.2013 को किया जाना प्रस्तावित है।

फ्लैट्स का प्रकार	फ्लैट्स की सं.	निर्मित क्षे.	सुपर एरिया (व.मी.)	टेरेस एरिया	अनुमानित विक्रय मू. (रु. लाख में)	अनुमानित पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)	चयन के पश्चात आवंटन पत्र निर्गत होने के 30 दिन के अन्दर देय धनराशि रु. में	अवशेष भुगतान रात तिमाही किरातों में (प्रत्येक किरात की प्रस्तावित धनराशि रु. में)
2 BHK	65	80.57	94.19	-	33.56	168000	477600	387200
2 BHK+Study	73	97.89	115.44	-	41.13	205000	586500	474500
3 BHK	46	121.23	136.87	-	48.76	244000	695200	562400
3 BHK+Study	15	134.18	152.01	-	54.16	271000	772100	624700
पेन्ट हाउस पर्ल	4	164.70	194.23	31.96	72.17	360000	1028800	832600
पेन्ट हाउस रूबी	7	199.24	224.94	108.47	87.01	435000	1240100	1003700

नीलामी प्रक्रिया में सील्ड बिड का प्राप्ति : 1. योजना / शहर का नाम..... 2. सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल..... 3. आरक्षित मूल्य..... 4. उच्चतम मूल्य..... ऑफर मूल्य / दर.... (जिस पर आवेदक सम्पत्ति चाहते हैं)। टोकन के रूप में बयाना धनराशि रु.... बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... नाम..... पिता / पति का नाम... आरक्षण श्रेणी.... (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न करें).... पत्र व्यवहार का पता.... दूरभाष/मोबाइल नं..... ई-मेल आई.डी..... दिनांक..... स्थल.... नाम-पिता का नाम..... संस्थान/फर्म/कम्पनी का नाम पूरा पता.....।

घोषणा पत्र का प्राप्ति (आवेदन एवं सील्ड बिड एवं दोनों के साथ नोटरी द्वारा सत्यापन सहित आवश्यक): 1. मैंने स्थल पर सम्पत्ति को देख लिया है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। 'जहाँ है, जैसे है' के आधार पर लेने के लिये सहमत हूँ। 2. मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों के नाम..... सम्बन्धित शहर में कोई भवन/भूखण्ड नहीं है एवं उत्तर प्रदेश के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड नहीं हैं। 3. मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों की गत वित्तीय वर्ष 2011-12 की समस्त श्रोतों से आय रु. से अधिक नहीं है। 4. मुझे उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के सभी अध्यावधिक, प्रभावी नियम व शर्तें मान्य हैं। दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर

मुख्य नियम व शर्तें : 1. आवेदन / सील्ड बिड फार्म सम्बन्धित शहर / योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से भी रु० 100.00 जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। 2. सील्ड बिड/ऑफर अंकित करते हुए रु० 100.00 के बैंक ड्राफ्ट (आवेदन/सील्ड बिड फार्म कार्यालय से अथवा उपरोक्त प्रारूप पर तैयार कर जमा कराने की दशा में) एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों हेतु 10 प्रतिशत तथा आवासीय सम्पत्तियों हेतु 5 प्रतिशत टोकन मनी सहित नीलामी से पूर्व (कार्य दिवस) दिनांक 27.04.2013 तक सम्बन्धित कार्यालय/जोन कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होना आवश्यक है। 3. आवंटन हेतु आवेदन पत्र तथा नीलामी हेतु सील्ड बिड सम्बन्धित शहर/योजना के लिए निम्नलिखित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में अथवा जोन कार्यालय में निम्न पते पर प्राप्त कराया जा सकता है। 4. सम्पत्तियों की संख्या, क्षेत्रफल एवं मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। 5. आवासीय सम्पत्तियों का आवंटन शासनादेश/परिषद के प्रदेश सम्बन्धि विनियम एवं आदेशों के अनुसार आवेदकों के मध्य लाटरी पद्धति से किया जायेगा, किन्तु जिन सम्पत्तियों का नीलामी से होने का उल्लेख है, उन्हें नीलामी पद्धति से निस्तारित किया जायेगा। 6. आवासीय सम्पत्तियों हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत का पंजीकरण बैंक ड्राफ्ट / पे-आर्डर जो "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित शहर में भुगतान रोचय देय हो, के साथ निर्धारित प्रारूप पर (आवेदन पत्र तथा सील्ड बिड दिनांक 27.04.2013) सायं 5 बजे तक निम्नलिखित पतों पर प्राप्त हो जाने चाहिए अथवा नीलामी के दिन नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। 7. अपूर्ण एवं शर्तों आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। 8. सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में "जहाँ है जैसी है" के आधार पर आवंटित की जायेगी। सम्पत्ति के लोकेशन, आकार या स्थलीय स्थिति के आधार पर बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। 9. सम्पत्ति का कब्जा देय भुगतान के बाद ही नियमानुसार निर्धारित स्टाफ पेपर पर अनुबन्ध/विक्रय-विलेख उपरान्त किया जायेगा। 10. सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवं शर्तों की जानकारी हेतु सम्बन्धित स.प्र. कार्यालय/जोन कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा परिषद की वेबसाइट : <http://www.upavp.com> पर Public Notices के अन्तर्गत देखी जा सकती है। 11. समस्त प्रकरणों में परिषद के अध्यावधिक नियम एवं शर्तें प्रभावी होंगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

नीलामी/सील्ड बिड फार्म प्राप्त/जमा करने के पते निम्नलिखित हैं : 1. आम्रपाली योजना, हरदोई रोड, लखनऊ। 2. सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय आफिस-काम्प्लेक्स निकट भूतनाथ मन्दिर, इन्दिरा नगर, लखनऊ। 3. सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, सेक्टर-8, विकास नगर, लखनऊ। 4. सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, प्रहलादपुरी योजना, हरदोई। 5. सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, आफिस काम्प्लेक्स, सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, लखनऊ। 6. संयुक्त आवास कार्यालय, लखनऊ जोन, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में केवल जमा किया जा सकता है।

आवास आयुक्त